छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

कार्यालय आदेश

क्रमांक 1487/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण क्रमशः 05, 10 एवं 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दिये जाने के प्रावधान आदेश क्रमांक 7261 दिनांक 06/02/2015 द्वारा लागू किये गये हैं।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों को प्रकिया संचालन सम्मति (Consent to Operate) 01 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है एवं तत्पश्चात् उपरोक्त उल्लेखित अवधि हेतु सम्मति नवीनीकरण किये जाने की व्यवस्था है।

Ease of Doing Business के अंतर्गत् उद्योगों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि सभी श्रेणी के उद्योगों को प्रथम बार प्रकिया संचालन सम्मति (Consent to Operate) यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि उद्योग द्वारा "स्थापना सम्मति" में निर्दिष्ट शर्तों के पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है, संचालन सम्मति शुल्क जमा करने पर 05 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए जारी की जावे। इस हेतु उद्योगों द्वारा संचालन सम्मति (Consent to Operate) हेतु आवेदन करते समय अन्य जानकारियों के साथ उक्त अवधि का नवीनीकरण शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था लघु उद्योगों के प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा। सभी क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित उद्योगों को उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों से अवगत करायेंगे।

4/6/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1488/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 4/6/2016

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य अभियंता (प्रभारी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर / बिलासपुर / भिलाई – दुर्ग /रायगढ़ / कोरबा / जगदलपुर / अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

4/6/16

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)